परियोजना का नाम :-- जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकास खण्ड रामगढ में नथुवाखान सुयालबाडी मोटर मार्ग छीमी से मटेला होते हुए तोला भुमियाँ देव मन्दिर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु

प्रारुप–30.4

दिनांक 21-4-2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम छीमी–मटेला

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के	हस्ताक्षर
	नाम 💦 🖓	1
1	Mart the wind Sto Amilei (wind	Are
2	guran unit st. and unit	La learent
3	Ansil unit S/o Engited white	Illhor Jen
4	4051-21-2 Sto Migilia	TISTICA D
5 -	MOTO	HIRST-45 OLIEN
6.	Called WITT Slowled Endulate	and the state
7	rais and mint she emitted	0 Kash
8	HIET- J- E Spear an aller (hier	and has
9	iquiant so Braced wint	3-2-0
10	and the main sto linked	Stand ZCA SIISI
11	Za-Germiani Sto VIAILOR	36,20
12	yna besur man So entir- G	2130 21 Dansaly
13	JITHIN ECO WILL S/a HINIM	JAGIONSELONA
14 .	Inspars mui So wind and	2012145
15	ELET ZES Sto Iddra T	EL 21
16	ELAL THE SO SIM HE	52721255 .
17	Elotion- & SI. MININIM	Sinmer alth
18	- Envery with go manel	Energ chall
19	RIG-E 3MILINEI Stallarde 15 Juit	RITS GMUSHAL
20	TILLET 21-3 WILL OF THEID WILL	Pictorn A
21	STIST 27 MISTIS/00/11/61/ UNIT	2221-2-3 64107
22	Baller agnist Sprailing a gunut	2007/2/57
23	Blig/ Tig S/o cimi Trg	EXIMUL
24	41749 Spo MELain - 9	41460
25	-yalst -21-5 Sto elmines	Yalerak
26	Erand & MIL Sto Intel- Caldad	Sh
27	FIFATERIANT SIO ELTEUR	chiltz acremy
20	ECONARD Sto ECTARA	Ethicy O
21	Fasivites Se wonters	i tenthe
30	Unitations Spigal Gent	07.1181316

माम पंचायत विकास अधिकारी प्राम पंचायत छिम. - मटल्... ति ख दीम... (ननीताल)

1

नीक देव

डेच । गयत सदल्य अमोन वि० छल् - रामगढ जिल्ला - चैनोताज

ह0 / -ग्राम प्रधानला लिल

बास पंचायत छीसी-मटेला हे० मे० दासमढ् (वेनीताल)

परियोजना का नाम :-- जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकास खण्ड रामगढ में नथुवाखान सुयालबाडी मोटर मार्ग छीमी से मटेला होते हुए तोला भुमियाँ देव मन्दिर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र ग्राम पंचायत का नाम:– तहसील कोश्यॉ कुटोली, जिला नैनीताल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत नथुवाखान सुयालबाडी मोटर मार्ग छीमी से मटेला होते हुए तोला भुमियाँ देव मन्दिर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि, 1.755 हे0 सिविल सोयम भूमि, शून्य हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 1.755 हे0 वन भूमि का निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग नैनीताल के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत छीमी—मटेली द्वारा दिनांक. <u>2/- 4-2./ त</u>.को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **छीमी–मटेला** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि **निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग नैनीताल** को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/-ग्राम सचिव मुहर सहित 6027776 (Adria)

ह0 / -ग्राम प्रधान / सरपंच मुहर सहित जोलग श्रम् श्रम् दंचायत छोमी-मटेल रामगढू (वेनीताल)

परियोजना का नाम :-- जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकास खण्ड रामगढ में नथुवाखान सुयालबाडी मोटर मार्ग छीमी से मटेला होते हुए तोला भुमियाँ देव मन्दिर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु

कार्यालय उप जिलाधिकारी, कोश्यॉ—कुटोली। अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण—पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति, कोश्यॉकटोली

उपखण्ड कोश्यॉ कुटोली परिक्षेत्र के अन्तर्गत नथुवाखान सुयालबाडी मोटर मार्ग छीमी से मटेला होते हुए तोला भुमियाँ देव मन्दिर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (हे० आरक्षित वन भूमि, 1.755 हे० सिविल एवं सोयम (वंजर) भूमि, शून्य हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात (**कुल 1.755 हे० वन भूमि**) का निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, नैनीताल प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कोश्यॉकुटोली) की दिनांक क्रूट्रे के सम्पन्न सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक र्ष्श्री रिच्या स्विर्ण्ड, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है। 1- श्री रिच्या पिट्रा जिलाधिकारी जिन्हा अध्यक्ष

Rour the -उपजिलाधिकारी -अध्यक्ष 5.6643 नेनीवार 2--उप प्रभागीय वनाधिकारी—-3-श्री र्ताद माहम्मु -सहायक समाज कल्याण अधिकारी **२५२० ४** सदस्य / सचिवे श्रीमन 4--बी०डी०सी० क्षेत्र — क्रिति। - title -सदस्य llha

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद नैनीताल के अन्तर्गत नथुवाखान सुयालबाडी मोटर मार्ग छीमी से मटेला होते हुए तोला भुमियाँ देव मन्दिर तक मौटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.755 हे0 सिविल सोयम भूमि निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, नैनीताल के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, कि जी पित्त दारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड बेतालघाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत नथुवाखान सुयालबाडी मोटर मार्ग छीमी से मटेला होते हुए तोला भुमियाँ देव मन्दिर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.755 हे0 वन भूमि निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, नैनीताल को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

Picke छप्रेज लगस्त्राचीन अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय यन अधिकार समिति तहमीन कोश्मा कटोली जनपद- नैनीताल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

नाधिकारी / अक्ष्यक्ष उप उपखण्ड तरीय यून अधिकार समिति risting an entrand तन्यर अनीत

परियोजना का नाम :– जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकास खण्ड रामगढ में नथुवाखान सुयालबाडी मोटर मार्ग छीमी से मटेला होते हुए तोला भुमियाँ देव मन्दिर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेत्

प्रारुप–30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Nainital

No-thy thi

Dated-106/2020

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.755 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Executive Enginner, Construction Division, P.W.D., Nainital** (name of user agency) for **Construction of chhimi to matela by tola at bhumiya dev mandir Motar Road** (purpose for diversion of forest land) in **Nainital** district falls within jurisdiction of **chhimimatela** village (s) in **koshyakutoli** tehsils.

It is further certified that:

Eucl: A

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.755** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexureto.. ...annexure......
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.



(Full name and official seal of the District Collector)

परियोजना का नाम :- जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकास खण्ड रामगढ मे नथुवाखान सुयालवाडी मोटर मार्ग छीमी से मटेला होते हुए तोला भुमियाँ देव मन्दिर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतू

FORM-II

(for projects other than linear projects) Government of Uttarakhand, Office of the District Collector Nainital Noฐรณภัณ

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 1.755 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Enginner, Construction Division, P.W.D., Nainital (name of user agency) for Construction of chhimi to matela by tola at bhumiya dev mandir Motar Road (purpose for diversion of forest land) in Nainital district falls within jurisdiction of chhimimatela village (s) in koshyakutoli tehsils. It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.755 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s). Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexuretoannexure.....
- (b) the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the garm sabha of **chhimimatela** villages(s) is enclosed as annexure..... to annexure.....
- (d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a guorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (f) the rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communites, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Eucl:As,above.

विषकारी



परियोजना का नाम :– जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकास खण्ड रामगढ मे नथुवाखान सुयालबाडी मोटर मार्ग छीमी से मटेला होते हुए तोला भुमियाँ देव मन्दिर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतू

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT Nainital (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Nainital district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. South. Borsel I.A.S deputy commissioner,. Nainital on dated 10/06/2022. at time .7200920...at Mainital in which application claiming rights in chhimimatela area measuring 1.755 hect for the Construction of chhimi to matela by tola at bhumiya dev mandir Motar Road forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of Betalghat sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Nainital Dated: 11.06/2020 man 12020 विद्या सम (आधिकामी

Deputy Commissioner-cum-Chairman District Level Committe